

Duplicate Copy

13-Oct-2017

आदेशतिथि
Aug 29 2017आदेश पर की
गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा कान्दरकोचा थाना पटमदा

| खाता | प्लॉट | रकबा |
|------|-------|-----------------------------|
| 37 | 26 | 0 एकड़, 15 डिसमील, 0 हेक्टर |
| 37 | 252 | 0 एकड़, 18 डिसमील, 0 हेक्टर |
| 37 | 254 | 0 एकड़, 6 डिसमील, 0 हेक्टर |

का बिक्रेता

| विक्रेता का नाम | रिश्ता | अभिभावक का नाम |
|-----------------|--------|-----------------|
| श्री मटका टुडू | पिता | स्व0 दुखु मांझी |

है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 3019 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदी रैयत

| रैयत का नाम | रिश्ता | अभिभावक का नाम |
|-------------|--------|----------------|
| दुखु मांझी | पिता | कार्तिक मांझी |

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदनानुसार नामान्तरण स्वीकृत किया जाता है।

अतः वार्षिक लगान **3.9 रूपये**

अलावे सेस के साथ

नामान्तरण **स्वीकृत**

किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है। ह0 कर्मचारी पंजी II में आवश्यक संशोधन के पश्चात एक प्रति कार्यालय में वापस करें।

Digitally Signed by : **BIJAY SINGH BIRUA**
अंचलाधिकारी पटमदा

